	07-11-17	प्रार्थी के वकील उपस्थित। चूंकि मूल निगरानी प्रकरण आज निर्णित हो चुका है अतः यह स्थगन प्रार्थना-पत्र अब प्रभावहीन होने से खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। sm अति. जिला न्यायाधीश सिरोही (राज.)	